न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/231

लाल चन्द्र रामनारायण, जाति माली, निवासी ग्राम सलोनिया तहसील कनवास, जिला कोटा राजस्थान

–अपीलांट

बनाम

1. ओमप्रकाश आत्मज कृष्ण जाति तेली
2. चन्द्र प्रकाश आत्मज हरिशंकर जाति तेली
3. पप्पू आत्मज बद्री लाल जाति तेली
4. सुशीला बाई पुत्री बद्री लाल
   निवासीगण ग्राम सलोनिया, तहसील कनवास, जिला कोटा राजस्थान
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कनवास, मुकाम कनवास जिला कोटा

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः–

1. श्री हेमन्त कृष्ण विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 29.08.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कनवास जिला कोटा के प्रकरण संख्या 37/2023 (2023/145) में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की ग्राम सलोनिया, तहसील कनवास में खसरा नम्बर 48 रकबा 2.00 हेक्टर आराजी स्थित है। अप्रार्थी 1 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की ग्राम सलोनिया तहसील कनवास में खसरा नम्बर 46 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 47 रकबा 1.07 हेक्टर कुल 2 किता की 1.08 हेक्टर आराजी स्थित है। अप्रार्थी कम 1 की आराजी खसरा नम्बर 47 वाके ग्राम सलोनिया स्थित आराजी ग्राम केसोली से ग्राम सलोनिया जाने वाले मुख्य रास्ते पर स्थित है। अप्रार्थी कम 1 की आराजी खसरा नम्बर 47 से लगवां पीछे की तरफ प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 48 स्थित है। प्रार्थीगण अपनी आराजी खसरा नम्बर 48 पर आने जाने के लिये प्रारंभ से अप्रार्थी कम 1 की आराजी खसरा नम्बर 47 की ग्राम सलोनिया की

तरफ की मेड पर से आते जाते रहे हैं। उक्त प्रचलित एवं कदीमी रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने का अन्य कोई सुगम रास्ता नहीं है। अप्रार्थी कम 1 उक्त प्रचलित रास्ते के आवागमन में हाल ही में विवाद करना प्रारंभ कर दिया है जिसके कारण प्रार्थीगण अपनी आराजी का समुचित उपयोग व उपभोग करने में असमर्थ हैं। प्रार्थीगण अप्रार्थी कम 1 की आराजी के प्रचलित रास्ते में आने वाली भूमि का विधिक प्रावधानों के अनुसार राशि अदा करने को तत्पर एवं तैयार है किन्तु अप्रार्थी कम 1 के तैयार नहीं होने से प्रार्थीगण के लिये माननीय न्यायालय में यह कार्यवाही करने हेतु आवश्यक हो गया है। प्रकरण प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 20/05/2023 को अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को प्रचलित रास्ते में निकलने से मना करने पर उत्पन्न हुआ। प्रकरण का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये गये रास्ता प्रदान कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। अन्य सहायता भी प्रार्थीगण को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.08.2024 के द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खाते की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 47 में कायम किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2024 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा अपनी बहस में अपील मेमो व लिखित बहस में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, न्याय एवं संचिका मे सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। उक्त आदेश में माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने यह नहीं देखा कि रेस्पोडेन्ट गया की वहां एक ही स्थान पर केवल खसर नंबर 48 की ही जमीन नही है बल्कि आस–पास अन्य खसरा नंबर रेस्पोडेन्ट के ही है। खसरा नंबर 207, 208, 209, 293 की भूमि कुल 4 किता की कुल रकबा 3.18 हेक्टर वहां साथ ही है इसी प्रकार खरारा नंबर 203, 204, 205, 206, 571/294 की 5 किता की कुल रकबा 1.91 हैक्टर भूमि भी रेस्पोडेन्ट गण की है जहां कुंआ भी है। आस पास के अन्य खसरा नंबर भी रेस्पोडेन्ट के ही है। इन शेष खसरा नंबर का उल्लेख आवेदन में जानबूझकर नही किया

है क्योकि उन खसरा नंबर सहित सम्पूर्ण खेत एक ही है एवं रेस्पोडेन्ट के खेत पर पहुंचने का मार्ग पूर्व से निर्मित है एवं वह सुगम मार्ग है। प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट ने सभी खसरा नंबर का उल्लेख नहीं करने से आवेदन अपूर्ण है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्तनीय है। रेस्पोडेंट के खेत पर पहुंचने के लिए प्रचलित एवं सुगम रास्ता आज भी वर्तमान में प्रभावी खसरा नंबर 187/570, 188, 191, 192, 196, 197, 198, 203, 204, 255/210 की मेड से है यह रास्ता नियमित रूप से प्रचलित है एवं सभी खेत में जाने का यही रास्ता है जिस पर ग्रेवल डली हुई है यह रास्ता कभी भी बन्द नही होता है। इस रास्ते पर कभी भी खेती नहीं होती है जिस रास्ता के होते हुए नया रास्ता नही दिया जा सकता है इस रास्ता का उल्लेख पटवारी रिपोर्ट में भी है। मौजूद रास्ता के तथ्य को छुपाकर नया रास्ता का निर्धारण अधिनियम की भावना के विपरीत है जिससे ही रेस्पो० ने अपना केवल एक ही खसरा नंबर बताया है जिससे तथ्यो को छुपाकर प्राप्त किया आदेश निरस्तनीय है। ग्रेवल रोड़ के होने के लिए शपथ पत्र अन्य पडौसी खातेदार द्वारा भी प्रकरण में प्रस्तुत किये थे जिन्हे नजर अन्दाज किया है। मोका रिपोर्ट में अन्य प्रचलित रास्ता विद्यमान होने का अंकन है। नियमानुसार पूर्व से ही रास्ता विद्यमान होने की स्थिति में नया रास्ता कानूनन कायम नहीं किया जा सकता। मौका रिपोर्ट भी गांव के निष्पक्ष व्यक्तियों के सामने नही बनायी गयी है बल्कि पटवारी जी से मिलकर गलत प्रकार से रिपोर्ट बनायी है अन्यथा निष्पक्ष व्यक्ति उपस्थित होता तो वह वस्तुस्थिति बताता एवं लिखवाता मौका रिपोर्ट में रेस्पो० चन्द्र प्रकाश का पुत्र मनीष है सीताराम बैरवा पटवारी जी के साथ रहने वाला व्यक्ति है जो ही पटवारी जी का सम्पूर्ण कार्य करता है जानबूझकर रिपोर्ट में यह नहीं लिखा कि रेस्पो० की खातेदारी में एवं उनके परिवार के अन्य सदस्यों की खातेदारी में आस पास लगभग 70–80 बीघा जमीन है एवं सभी खेत मिलकर एक ही है एवं एक ही कुऐ से सभी खेत में पानी लगता है जिससे मौका रिपोर्ट भी दूषित है यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार कनवास भी रेस्पोडेन्ट के रिश्तेदार है। मौका रिपोर्ट अपीलांट की उपस्थिति में नहीं बनायी। माननीय अधीनस्थ न्यायालय को खसरा नंबर 187/570, 188, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 203, 204 एवं 255/210 की मेर के प्रचलित रास्ता को राजस्व रिकार्ड में रास्ता के रूप में अंकित किया जाने का आदेश पारित करना चाहिये था जो नही दिया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का सम्पूर्ण आदेश दूषित हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अत्यधिक आवश्यकता के आधार पर आदेश पारित नहीं किया है बल्कि गुणावगुण पर सभी विषय को देखने के बजाय बिना किसी आधार के आदेश पारित किया है। मौका रिपोर्ट बनाते समय अपीलांट को बुलाया भी नहीं गया पूछा भी नही गया अन्यथा अपीलांट अवश्य प्रचलित ग्रेवल युक्त रास्ता बताता जिससे अधीनस्थ न्यायालय से आदेश नही हो सकता था। धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नया रास्ता नही बनाया जा सकता है जहां प्रचलित रास्ता नही हो प्रकरण में आने जाने का रास्ता पृथक से आज भी है। यदि किसी पोंईन्ट विशेष तक रास्ता ने जाना है तो स्वयं के खेत में से तार फेन्सिग हो रही है सम्पूर्ण खेत में अपीलांट ने बडी राशि खर्च कर खेत को उपजाऊ एवं उपयोगी बनाया हुआ है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट ने अपने आवेदन में अपीलांट के खेत में से 6 यानि खसरा नंबर 47 में से होकर प्रचलित रास्ता होना बताता है जो नितान्त गलत है, अपीलांट के खेत में तारबन्दी चारो ओर हो रही है अपीलांट अपना जीवनयापन का यही एक खेत है। अपीलांट अपना अधिकांश समय खेत पर ही रहता है तारबंदी सुरक्षित है। प्रचलित रास्ता तो मौका रिपोर्ट में भी नही आया है जिससे दुर्भावना से रेस्पोडेन्ट ने तथ्य छुपाकर आवेदन दिया है क्लीन हैण्ड से जो व्यक्ति उपस्थित नही हुआ है व

सहायता प्राप्त करने का अधिकारी भी नही है। रेस्पोडेन्ट राजनीतिक एवं आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से एवं बाहुबल से सामर्थ्यशाली है, अपीलांट गरीब व्यक्ति है। गरीब के साथ अन्याय किया जा रहा है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2024 निरस्त किए जाने तथा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क खारिज किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो रास्ता अपीलांट की भूमि में कायम किया है वह रास्ता प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की भूमि में आने जाने हेतु मौके पर विद्यमान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रास्ते के संबंध में रिपोर्ट तलब की गई है। प्रश्नगत रास्ते की मौका रिपोर्ट दिनांक 04.06.2024 को पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधिवत रूप से तैयार की गई । उक्त मोका रिपोर्ट में भी प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता अपीलांट की भूमि में होने का अंकन है। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 04.06.2024 पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधि अनुसार तैयार की गई है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत रास्ता अपीलांट की भूमि में कायम किये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। प्रश्नगत रास्ता प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट की आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता है। दिनांक 04.06.2024 को उक्त मोका रिपोर्ट तैयार किए जाने के दौरान अपीलांट मोके पर उपस्थित हुए परन्तु अपीलांट ने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया जिसका अंकन मोका रिपोर्ट दिनांक 04.06.2024 में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना करते हुए प्रश्नगत निर्णय दिनांक 29.08.2024 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08. 2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खाारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वयं के खाते की खसरा नम्बर 48 की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता अपीलांटगण के खाते की खसरा नम्बर 47 की भूमि की पूर्वी मेंढ़ पर विद्यमान होने का कथन किया है तथा उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित रास्ते की रिपोर्ट तलब की गई है जो तहसीलदार कनवास द्वारा अपने पत्र कंमाक 933 दिनांक 25.06. 2024 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित की गई है। उक्त रिपोर्ट दिनांक 04.06.2024 में प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि में आने जाने हेतु अधिकतर खसरा नम्बर 187/570, 188, 191, 192,

196, 197, 198, 199, 203, 204, 255, 210 का उपयोग किए जाने तथा कभी–कभी खसरा नम्बर 47 की भूमि का उपयोग किए जाने का अंकन है। उक्त रिपोर्ट दिनांक 04.06.2024 में प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 47 की भूमि में दिया जाना प्रस्तावित किया गया है जो प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है। उक्त मोका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 47 के पूरब दिशा में खातेदार लालचन्द पुत्र रामनारायण(अपीलांट) द्वारा रास्ता देने में सहमत नहीं होने का अंकन है। साथ ही अप्रार्थी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में प्रश्नगत खसरा नम्बर 47 की भूमि में कोई रास्ता विद्यमान नहीं होने का कथन किया है। मोका रिपोर्ट दिनांक 04.06.2024 पर अपीलांट लालचन्द के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। अतः मोका रिपोर्ट तैयार किए जाने के दौरान अपीलांट का मोके पर उपस्थित नहीं होना प्रकट होता है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) को प्रभाव देने के लिए बनाए गए नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी द्वारा जो भू–अभिलेख निरीक्षक पद से नीचे का नहीं होगा, से निरीक्षण करवायेगा तथा प्रभावित व्यक्तियों की आपत्ति आमंत्रित करेगा। चूंकि मोका रिपोर्ट दिनांक 04.06.2024 में अपीलांट के खाते की खसरा नम्बर 47 की भूमि में रास्ता कायम किया जाना प्रस्तावित किया गया है अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट को प्रश्नगत मोका रिपोर्ट दिनांक 04.06.2024 पर आपत्ति प्रकट करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत मोका रिपोर्ट दिनांक 04.06.2024 पर आपत्ति प्रकट करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए बिना ही अपीलांट के खाते की खसरा नम्बर 47 की भूमि में रास्ता कायम किए जाने का आदेश अपने निर्णय दिनांक 29.08.2024 में अंकित किया है जो राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 69 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट उभयपक्षकारान की उपस्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार करवाया जाना आवश्यक है तथा तैयार की गई मोका रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रकट करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलं अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा के प्रकरण संख्या 37/2023 (2023/00145) में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2024 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्षकारान की उपस्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट तैयार करावें। मोका रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रकट करने का समुचित अवसर प्रदान करें तथा आपत्तियों का

नियमानुसार निस्तारण करते हुए तथा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करें।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/8/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा